ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 88

भूमि संसाधन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1236.50	...	1236.50	2170.42	...	2170.42	1484.52	...	1484.52	2259.34	...	2259.34
वसूलियां	*-60.52*	...	-60.52	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**1175.98**	**...**	**1175.98**	**2170.42**	**...**	**2170.42**	**1484.52**	**...**	**1484.52**	**2259.34**	**...**	**2259.34**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	13.00	...	13.00	20.42	...	20.42	18.52	...	18.52	20.09	...	20.09
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
डिजिटल इंडिया संबंधी पहल-भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम												
2. भूमि रिकार्ड के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम	225.14	...	225.14	150.00	...	150.00	250.00	...	250.00	239.25	...	239.25
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
3. एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम												
3.01 कार्यक्रम घटक	998.36	...	998.36	2000.00	...	2000.00	1211.95	...	1211.95	1982.12	...	1982.12
	-60.52	...	-60.52	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*937.84*	...	*937.84*	*2000.00*	...	*2000.00*	*1211.95*	...	*1211.95*	*1982.12*	...	*1982.12*
3.02 इएपी घटक	...	...	...	...	...	...	4.05	...	4.05	17.88	...	17.88
जोड़- एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम	*937.84*	...	*937.84*	*2000.00*	...	*2000.00*	*1216.00*	...	*1216.00*	*2000.00*	...	*2000.00*
कुल जोड़	***1175.98***	***...***	***1175.98***	***2170.42***	***...***	***2170.42***	***1484.52***	***...***	***1484.52***	***2259.34***	***...***	***2259.34***
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	13.85	...	13.85	50.00	...	50.00	37.66	...	37.66	59.00	...	59.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2. भू सुधार	225.14	...	225.14	135.00	...	135.00	225.00	...	225.00	215.33	...	215.33
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	13.00	...	13.00	20.42	...	20.42	18.52	...	18.52	20.09	...	20.09
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**251.99**	**...**	**251.99**	**205.42**	**...**	**205.42**	**281.18**	**...**	**281.18**	**294.42**	**...**	**294.42**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	215.00	...	215.00	146.60	...	146.60	223.92	...	223.92
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	832.78	...	832.78	1700.00	...	1700.00	1026.74	...	1026.74	1697.00	...	1697.00
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	91.21	...	91.21	50.00	...	50.00	30.00	...	30.00	44.00	...	44.00
जोड़-अन्य	**923.99**	**...**	**923.99**	**1965.00**	**...**	**1965.00**	**1203.34**	**...**	**1203.34**	**1964.92**	**...**	**1964.92**
कुल जोड़	**1175.98**	**...**	**1175.98**	**2170.42**	**...**	**2170.42**	**1484.52**	**...**	**1484.52**	**2259.34**	**...**	**2259.34**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान भूमि संसाधन विभाग के सचिवालयीय व्यय के लिए है।

2. **भूमि रिकार्ड के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम:** भूमि संसाधन विभाग का प्रयास तथा ज़ोर डीआईएलआरएमपी के तत्वावधान में एक एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) भूमि संबंधी रियल-टाईम सूचना में सुधार (ii) भूमि संसाधनों का इष्टतम उपयोग (iii) भूमि स्वामियों तथा भावी क्रेता और विक्रेता दोनों को लाभ (iv) नीति एवं योजना में सहायता (v) भूमि विवादों में कमी (vi) धोखाधड़ीपूर्ण या बेनामी लेनदेनों पर रोक (vii) राजस्व पंजीकरण कार्यालयों के प्रत्यक्ष दौरों की आवश्यकता से मुक्ति (viii) योजना निर्णय लेने कल्याणकारी स्कीमों विकास तथा ऐसी अन्य आवश्यकताओं के उद्देश्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों व एजेंसियों के साथसूचना तथा डाटा साझा करने में सक्षम बनाना शामिल होगा।

3. **एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक

भूमि संसाधन विभाग आईडब्ल्यूएमपी को कार्यान्वित कर रहा है जिसे 2015-2016 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना डब्ल्यूडीसी पीएमकेएसवाई के वाटरशेड विकास घटक के रूप में समामेलित किया गया था आईडबल्यूएमपीके तहत 2009-2010 से 2014-2015 के दौरान 28 राज्यों (गोवा को छोड़कर अब 27 राज्य) और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 39.07 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र शामिल करते हुए 8214 वाटरशेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिसमें 33642.24 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा है कुल लागत 50739.58 करोड़ रुपए शेयरिंग पैटर्न 60 और 40 का अनुपात एनईआर और पहाड़ी राज्यों में 90 और 10 का अनुपात शुरुआत से राज्यों को 31-12-2021 की स्थिति के अनुसार 19926.67 करोड़ रुपये का केन्द्रीय हिस्सा जारी किया जा चुका है

(ख) कुल स्वीकृत 1832 परियोजनाओं में से शुरू न हो पायीं 435 और विलम्बित 1487 परियोजनाओं को 2018 में राज्यों के पास स्थानान्तरित कर दिया गया था जिससे कि वे इन्हें अपने बजट से पूरा कर सकें और बाकी 6382 परियोजनाओं को भूमि संसाधन विभाग से वित्तपोषित किया जा रहा है। 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार 6382 परियोजनाओं में से 5220 (81.79%) के पूरा हो जाने की जानकारी है।

(ग) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई की परियोजना अवधि मार्च 2021 में समाप्त हो गई हालांकि विभिन्न राज्यों के अनुरोध पर और सक्षम प्राधिकारी के उचित अनुमोदन के साथ यह अवधि मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है इस बीच 4.95 मिलियन हेक्टेयर वर्षा सिंचित और अवक्रमित क्षेत्रों के विकास के लिए वाटरशेड की नई पीढ़ी योजना यानी डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 सरकार के विचारधीन है 06-08-2021 को आयोजित ईएफसी बैठक में 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 8134.00 करोड़ रुपये केंद्रीय शेयर के परिव्यय पर सहमती बनी।

4. ईएफसी सिफारिशों के आलोक में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई योजना को जारी रखने के संबंध में सीसीईए के लिए एक नोट पहले ही पीएमकेएसवाई के लिए नोडल विभाग अर्थात डीओडब्ल्यूआर आरडी और जीआर को इस विभाग के दिनांक 21-09-2021 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा पीएमकेएसवाई की अम्ब्रेला योजना हेतु सीसीईएप्रस्ताव के लिए समेकित नोट तैयार करने के लिए प्रस्तुत किया जा चुका है सीसीईए ने 15-12-2021 को हुई अपनी बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया और उसे मंजूरी दी।